रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1975/अग्रहायण 5, 1897
No. 230] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 1975/AGRAHAYANA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th November, 1975

SUBJECT—*Licensing conditions for the U.K./India Sectoral Grants, 1975 dated 27-6-1975.*

No. 120-ITC(PN)/75.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under U.K./India Sectoral Grant, 1975, as given in Appendix to this Public Notice, are notified, for information.

APPENDIX

Licensing conditions for the UK/India Sectoral Grant, 1975, dated the 27th June, 1975

I. GENERAL

1 The import licence will bear the superscription "UK/India Sectoral Grant 1975". In addition to the licence number and the licence code with "R/KSG" or "S/KSG", as suffixes, it will bear the allocation number, *Known as the Identification Suffix* the symbol "SEC" indicating the Sectoral Grant; followed by a letter "A" which stands for the Power Sector for which the Grant is intended, followed by a number indicating the year in which the allocation is

made, and followed by an allocation number;—*for example*

SEC/A/72/14(GOI)

i.e. Sectoral Grant/Power/Year/Allocation number.

(b) In the case of allocations made with the prior approval of the British Government, the symbol "(GOI)" will not appear in the identification suffix, as is evident from the following example:

"SEC/A/72/14."

(c) *One allocation—Multiple licences.*—When there is more than one import licence against an allocation, the licensing authorities will ensure, at the time of issue of the import licence that each licence pertaining to an allocation, will bear a further identification mark, for example:

(i) SEC/A/72/14(GOI)/1 (first licence)

(ii) SEC/A/72/14(GOI)/2 (second licence).

i.e. Sectoral Grant//Power/Year/Allocation Number/Serial Number of licence.

(d) *One licence—Multiple contracts.*—When there is more than one purchase order/contract against an import licence, it is the responsibility of the licensee to ensure that each purchase order/contract under that import licence is given a further identification mark i.e. (1), (2), etc. in brackets after the identification mark for the licence.

for example:	for contracts against the first import licence issued against the allocation.	SEC/A/72/14(GOI)/1(1) SEC/A/72/14(GOI)/1(2)

i.e. Sectoral Grant/Power/Year/Allocation number/serial number of import licence (serial number of the Purchase order).

Similarly for the contracts against the second import licence issued against an allocation, it will be—

SEC/A/72/14(GOI)/2(1)

SEC/A/72/14(GOI)/2(2)

NOTE.—The identification suffixes indicated above or anywhere in these conditions are only illustrative to enable the licensing authority and the licensee to understand the procedure *and are not to be used.* The actual identification suffix will be indicated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, in respect of each and every allocation tobe inscribed by the licensing authority on the omport licence at the time of its issue.

2. **Validity period of licence.**—The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of 4 months for contracting and 12 months for completing the shipments. Where however the deliveries are expected to materialise over a longer period the initial validity of the licence could be 18 months.

Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should furnish to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE II Section), New Delhi, a photo-stat copy of the import licence. A copy of this should also be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit (CAA&A), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

3. **Ordering.**—Firm orders on CIF or C&F basis must be placed on the UK suppliers within a period of four (4) months from the date of issue of the import licence. Firm orders means purchase orders placed by the Indian licensee on the U.K. supplier duly supported by confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and U.K. suppliers. The prices should generally be firm for the duration of the contract.

Whenever insurance is taken out on an Indian Company, the premium should be paid in India in Indian Rupees.

4. **Extensions in ordering period.**—If firm orders cannot be placed within the prescribed period of 4 months, the import licence should be submitted to the licence issuing authority immediately, indicating reasons for delay in

placement of firm orders and seeking extension in the period of ordering as considered necessary. Such requests will be considered by the licensing authorities who may grant extension upto a maximum period of two months. If, however, extension is sought for a period exceeding 6 months commencing from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (WE II Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi, who will communicate the orders.

5. **Mode of payment.**—For the purpose of payments under UK/India Sectoral Grant 1975, the imports have been divided in the following two categories:

(i) (a) Items which are financed from the working capital of first users e.g. materials components, spares and other consumable stores acquired other than for the purpose of increasing production capacity of the first user: [First user is the firm or organisation (other than trading organisations) which first acquires the goods and services to be provided from out of the Grant. The firm may for instance, be a manufacturer of plant equipment and components for the electricity supply industry or an enterprise of the electricity supply industry itself].

(b) Items which are additions to a first user's fixed capital e.g. plant or other goods and services acquired for the purpose of increasing the production capacity of a first user, costing less than £500,000 in foreign exchange.

(c) All types of items required by the ultimate users like Electricity Boards.

(ii) Items which are additions to a first users' fixed capital, involving sterling expenditure of £500,000 or above.

Payments to the suppliers for items covered under para (i) (a), (b) & (c) can be arranged through normal banking channel by establishing letters of credit, *but a special authorisation* for doing so should be obtained from the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, in the manner detailed in Section III(A) below.

For items covered under item (ii) above prior approval of the Government of India and the Government of the U.K. is necessary and the procedure detailed in Section III(B) should be followed.

It should be noted that unless ordering is complete within the initial period of four months or the extended period, and the special authorisation (as indicated in the above paragraph) is obtained the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credit.

6. **Indian Agent's Commission.**—Any payment towards the Indian Agents' Commission should be made in Indian rupees to the Agent in India. Such payments will however, form part of the import licence and will, therefore, be charged to it.

7. Orders should be placed on cash basis and all the payments must be completed within the validity period of the import licence. Individual payments must be arranged on shipment of goods. No credit facility of any kind will be allowed.

II. SPECIAL POINTS TO BE INCORPORATED IN THE ORDERS/CONTRACTS OR OTHERWISE KEPT IN VIEW

8. While placing orders/contracts which must be placed only on the suppliers in the United Kingdom (which expression in this connection, includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the orders/contracts that the goods purchased are, or will be wholly or mainly produced or manufactured in the United Kingdom. When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein, that such works and services are, or will be provided by persons ordinarily residents or carrying on business in the United Kingdom.

9. **Non-UK content criteria.**—(a) The import licence will be valid only for goods and/or materials procured and produced or manufactured in the United Kingdom.

(b) The Indian Importer is advised in his own interest that he should ascertain from the UK suppliers before hand whether the proposed imports contain any non-UK element, and if so, the percentage thereof. When on such an enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have the non-UK element, the matter must be brought to the notice of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section) New Delhi for confirmation whether the importer should proceed with the finalisation of his order/contract with the prospective UK supplier. In exceptional cases, a non-UK element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the contract may be accepted, with the prior permission of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

10. The documentation requirements mentioned in Section III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. NOTIFICATION OF CONTRACTS, CONTRACT ACCEPTANCE AND *AMENDMENTS THERETO*

(A)—In respect of imports covered by para 5(i) above

11. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward three copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by two copies of the contract certificate [in the form attached as Annexure II or Annexure IIB] (as is appropriate) duly signed by the UK supplier, to Controller of Aid Accounts & Audit in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi. A copy of the notification of contract (Annexure I) may also be endorsed to Shri C. L. Grover, Deputy Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

12. While forwarding the above documents to the CAA&A, New Delhi (as stated in para 11 above), it must be ensured by the licensee that complete number and date of the import licence and the title of the Grant (UK/India Sectoral Grant 1975) are clearly noted on the documents. The licensee must also ensure that the Identification Suffix of the import licence has been indicated on all the documents *viz.* the forwarding letter; the contract; the contract notification; the contract certificate, etc.

Illustration.—If, for example, the identification suffix "SEC/A/75$12(GOI)" has been allotted by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, for a certain allocation made during the year 1975, the documents under the first import licence and the second import licence will bear the identification suffix as under:

(i)	First Import Licence—	SEC/A/75/12(GOI)/1
	First contract under it.	SEC/A/75/12(GOI)/1(1)
	Second contract under it	SEC/A/75/12(GOI)/1(2) and so on
(ii)	Second Import Licence—	SEC/A/75/12(GOI)/1
	First contract under it.	SEC/A/75/12(GOI)/1(1)
	Second contract under it.	SEC/A/75/12(GOI)/2(2) and so on

The licensee, while forwarding the contract documents to the CAA&A, New Delhi, must give the relevant details of the number of contracts placed under the relevant import licence. The importer will be solely responsible for the accuracy of these details.

13. If at any time, a contract is amended or if liability thereunder is to be incurred for a greater or lesser amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should within a fortnight of the date of the amendment of the contract, forward the supplementary or revised documents including copies of amendments to contracts and the revised contract certificate to CAA&A in order to enable him to notify the same to the U.K. Govt.

14. If, the contract is with the Indian Agent of the UK supplier, it should indicate the name of the UK supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract which alone will qualify for payment under the Grant. Copies of such contracts (of contracts placed by Indian Agent with the UK supplier, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

(B)—In respect of imports covered by para 5(ii) above.

15. Within a fortnight of placement of the contract, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as

Annexure I) accompanied by five copies of the contract certificate [in the form attached as Annexure II or Annexure II(B)] (as may be appropriate) duly signed by the UK supplier, to CAA&A, New Delhi. A copy of Annexure I should also be endorsed to Shri C. L. Grover, Deputy Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

NOTE.—As no L/C can be established or payments made to the suppliers unless the contract is duly proved by the UK Government, it is imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract along with contract certificate, duly signed to the UK supplier are forwarded to CCA & A at the earliest.

16. While forwarding the above documents (para 15 above), it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence, the title of the Grant are clearly noted on the documents. The licensee must also give the identification suffix in each contract against the import licence (please see illustration under para 12 above).

17. The CAA&A will arrange through the Chief Accounts Officer, High Commission of India, London (CAO, London) to file a set of the documents to the U.K. Government for obtaining their approval and acceptance of the payments under the contract being made out of the U.K. Grant. As soon as possible, after the decision of the U.K. Government is known, the CAO, London will inform the UK supplier as also the licensee direct, under advice to the Ministry of Finance (CAA&A).

18. If, at the time, a contract (being a contract in respect of which acceptance of the UK Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder for a greater/lesser amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should forward the supplementary or revised documents, copies of amendments to the contract and the revised contract certificate to CAA&A, in order to enable him to notify the same to the UK Government for obtaining their acceptance. As soon as acceptance of the amendment to the contract is received from the UK Government the CAO, London will inform the licensee and the Ministry of Finance (CAA&A) in the same manner as for the original contract.

19. If the contract is with the Indian Agent of the UK supplier, para 14 above should also be complied with.

IV. PAYMENT TO THE UK SUPPLIERS—LETTER OF CREDIT PROCEDURE.

20. (a) The licensee should, while forwarding the documents [*vide* Section III(A)], or after the receipt of intimation regarding approval of the contract by the UK Government (*vide* para 17), apply to CAA&A, New Delhi for a letter of authorisation to any authorised bank dealing in foreign exchange for opening a letter of credit in favour of the UK supplier with one of the correspondent banks in the U.K. The request for the letter of authorisation should be in the form set out at Annexure III, accompanied by a photostat copy of the import licence for verification of the exchange rate.

(b) In the case of contracts covered by Section III(B) the importer should also enclose the Bank Guarantee (in the form given in Annexure IV) obtained from the authorised dealer in foreign exchange. The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the sterling amount for which the Letter of Authority/Letter of Credit is required to be issued plus interest and other charges as mentioned in Annexure IV. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and Insurance from time to time.

NOTE.—No Bank Guarantee is required from public sector projects. In such cases the letter of credit will be opened through any branch of the State Bank of India (including its subsidiaries) or any Branch of any of the Nationalised Banks.

21. If the application is found to be in order, the CAA&A in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi will issue a letter of authorisation for the requisite amount to the Indian Exchange Bank concerned. In either of the cases whether falling under section III(A) and III(B) the letter of Authorisation will refer to the identification suffix of the contract/purchase order, which should figure in the letter of credit to be opened and on all the documents to be furnished under the letter of credit. In the case of contracts

covered by Section III(B) above, the Contract Approval number of the UK Government will also be incorporated in the Letter of Authority and Letter of Credit. The CAA&A will also advise the UK Bank and the CAO, London suitably about the Letter of Authority issued. The advise to the UK Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned, along with a copy of the letter of authorisation, who would in turn, transmit it to the UK Bank while opening the letter of credit.

22. The letter of credit should be opened within a period of one month from the date of issue of the letter of authorisation, failing which the authorisation will lapse.

23. The letter of credit should detail the conditions to which the licence is subject; should provide for payment to the UK supplier on submission of all the documents detailed in Section V below; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the condition that the Corresponding Bank in U.K. would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement from the concerned Bank in India [in case covered by Section III(A)] or from the State Bank of India, London through the CAO, London [in case covered by Section III(B)]. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect. The letter of credit should contain the superscription "UK/India Sectoral Grant 1975", the Import Licence No. & date, the Identification suffix and where necessary the UK Govt.'s contract approval number.

24. While opening Letter of Credit the Authorised Exchange Bank in India should, on behalf of the importer, make care to incorporate necessary conditions in the letter of credit and ensure that the documentation requirements are noted and complied with by the UK supplier.

25. If a letter of authorisation already issued is to be amended on account of enhancement in the import licence value, the request of the importer should be accompanied by the import licence or photostat copy thereof, showing the exchange rate applicable for the amount of increase in import licence value.

V. DOCUMENTATIONS

26. The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below to the UK Bank at the time of claiming payment for the goods supplied:

(i) The original invoice, with four photo copies or copies by any other process. The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, the basis of delivery (C&F or CIF) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of ocean of charter Bill of Lading or airway Bill or parcel post receipt. (The Bill of lading should either indicate or be accompanied by the carriers statement of charges in whatever currency it is paid).

(iii) Four copies of the payment certificate in the form given as Annexure V [not required in respect of contracts for which contract certificate (chemicals) in the form given as Annexure II(B) has been provided]. For this purpose five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

(iv) Three copies of the contract certificate prescribed in Annexure II or Annexure II(B).

Each of the above documents must show the grant title, the identification suffix, the details of import licence, and the particulars of the letter of credit authorisation issued by the Ministry of Finance. (The Bill of lading may not carry the details of import licence, if it is not found possible to mention these details by the clearing agents).

27. After the payment is made to the UK supplier, the UK correspondent Bank will send by fast air mail the original negotiable set of documents to the Indian Bank concerned.

28. (a) For cases, falling under Section III(A), the Indian Bank will reimburse the UK Bank by remittance, the payments made by it to the UK suppliers along with the bank charges. The recovery of corresponding rupee equivalent by the Indian Bank from the importer for such foreign exchange remittances will be as per the arrangements agreed to between them. The UK Bank should also send a non-negotiable copy of the completed payment certificate to CAA&A, New Delhi.

For cases, falling under Section III(B), the Indian Bank, would on receipt of documents, remit the Bank charges to the UK Bank and recover the same from the importer.

(b) The UK Bank will, in cases covered under Section III(B), simultaneously claim reimbursement from the CAO London and for this purpose will submit all the documents. The CAO London will arrange payments to the UK Bank through the State Bank of India, London.

VI. INDIAN BANK'S RESPONSIBILITY TO ENABLE THE GOVERNMENT OF INDIA TO OBTAIN REIMBURSEMENT UNDER THE U.K. GRANT/FOR RUPEE DEPOSITS

(A)—**In cases coming under Section III(A)**

29. After reimbursing the UK Bank of the sterling payments made by it to the UK suppliers along with the bank charges [see para 28 (a)] the Indian Bank should, within 10 days, send the necessary documents to CAA&A, New Delhi to enable the Govt. of India to obtain reimbursement under the UK Grant. The documents to be furnished are:

(i) Contract certificate in the form set out in the Annexure II or Annexure II(B), as is appropriate, duly signed by the UK suppliers and a copy of the relevant letter of credit.

(ii) Payment certificate in the form given in Annexure V duly signed by the UK supplier.

(iii) The invoice and Bill of lading as mentioned in Section V where there is more than one payment to be made to the UK supplier under a contract, the contract certificate and a copy of the letter of credit need be supplied only for the first payment. For the subsequent invoices need to be sent to the CAA&A, New Delhi, but the identification suffix in the relevant contract certificate and the letter of credit should be quoted.

(B)—**In the cases coming under Section III(B)**

30. Within seven (7) days of the receipt of the advice of payment along with shipping documents from the UK Bank, the Indian Bank concerned shall collect from the importer the cost of imports in rupees plus interest charges at the rate of 6 per cent per annum or at any other rate as may be prescribed from time to time for the period from the date of payment to the UK Suppliers by the UK Bank, to the date of deposit of the rupee equivalent into the Govt. account.

31. **Deposit of rupee equivalent.**—The amount referred to above should be deposited by the Indian Bank to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or if this is not feasible, should be remitted by means of a Demand draft drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi. Rupee deposit should be made in the revised form of the treasury Challan, Published as Annexure to Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-74. Thereafter the treasury challan evidencing the deposit should be sent by Registered Post to the CAA&A, New Delhi indicating references to and enclosing copies of the invoice, shipping documents and the Authorisation of that Department to which the transaction relates.

The Indian Bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner such additional amounts on account of service charges as may be demanded by the Government of India within 7 (seven) days after such demand.

The Licensee should also fill in, in duplicate, the Form 'S' incorporated as Annexure II to Public Notice No. 184-ITC(PN)/58, dated 30th August 1968 and present the same to their bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

32. **Head of account for rupee deposit.**—The amounts including interests charges to be deposited to the Credit of Government of India shall be creditable under the following Head of Account:

"K—DEPOSITS AND ADVANCES—843 CIVIL DEPOSITS—DEPOSITS FOR PURCHASES etc. ABROAD—DEPOSITS UNDER UK/INDIA SECTORAL GRANT, 1975."

Accounts Officer

and the Accounts General, Central Revenues, New Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

33. **Release of Bank Guarantee.**—After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the Indian Bank concerned can apply to the CAA&A, New Delhi for the release of the Bank Guarantee. The application should be made by the Indian Bank concerned (not by the importer) and should be in the form laid down as Annexure VI.

VII. REPORT ON THE UTILISATION OF THE IMPORT LICENCE

34. **Reporting.**—A quarterly report, in the form attached as Annexure VII showing the utilisation status of the licence should be furnished on the 15th of month following the quarter to which it relates to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II SECTION), New Delhi with a copy to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi.

VIII. MISCELLANEOUS

35. **Refunds from U.K. Suppliers.**—If any money is received by the licensee from the UK suppliers or a Guarantor (insurance company etc.) as a refund or settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the concerned correspondent bank in the U.K. (from which the payment was initially made to the U.K. supplier) with the instructions to refund the amount immediately, in turn, to CAO London for crediting to the Grant Account. After the Grant Account is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of a claim therefore from the importer. If any refund is received after the closure of the loan, the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

36. **Reporting of Refunds.**—As and when any such refund is received, a report thereof should be made to the Ministry of Finance with a copy to the CAA&A; in the form set out on Annexure VIII.

37. **Notification of Special Conditions Provisions to Supplier.**—The licensee should apprise the Supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

38. **Disputes.**—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

39. **Future Instructions.**—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under this grant Agreement.

40. **Breach or Violation.**—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the orders issued thereunder.

IX. LIST OF ANNEXURE

1. Annexure I.—Notification of Contract.
2. Annexure II.—Contract Certificate.
3. Annexure II (B).—Contract Certificate (Chemicals).
4. Annexure III.—Form of application for Letter of Credit Authorisation.
5. Annexure IV.—Form of Bank Guarantee.
6. Annexure V.—Payment Certificate.
7. Annexure VI.—Form of application for the release of Bank Guarantee.
8. Annexure VII.—Form for reporting Ordering and Utilisation of the import licence.
9. Annexure VIII.—Form of reporting Refunds.

ANNEXURE I

UNITED KINGDOM/INDIA SECTORAL GRANT 1975
NOTIFICATION OF CONTRACT

To

The Crown Agents for Overseas Governments and Administrations,
4, Millbank,
London, SW1.

Notification of Contract No.....

Identification Suffix.....

The following are details of a contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above grant.

1. Name and address of United Kingdom Contractor:
2. Date of Contract:
3. Name of Indian Purchaser:
4. Short description of goods and/or works or services:
5. Value of Contract: £
6. Terms of Payment:

Signed on behalf of the Government of India.
Date.....

Copy for information to Ministry of Finance (DEA) (WE II Section, New Delhi.

ANNEXURE II

UNITED KINGDOM/INDIA SECTORAL GRANT 1975

Contract Certificate

Particulars of Contract

1. Date of Contract 2(a) Contract No.....
(b) Identification Suffix

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
.....

(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate)

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C & F or FOB)

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer)

5. Description of goods to be supplied to Purchaser.	Price	UK/TARIFF/TRADE CODE NO.
.....		
.....		

6. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. % of imported raw material or component used in manufacture.

(a) %FOB value.....

(b) Description of items and brief specifications.....

7. If any raw material or components used originated from abroad, *e.g.* copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for the contract, specify:—

(a) %FOB value.....

(b) Description of items and brief specifications

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.

8. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(a) Your firm (site engineers, charged, etc.).....

(b) Local Contractor.....

9. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7 or 8 above.....

10. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the contractor other than those specified in paragraphs 6, 7, 8 and 9 above.

Signed.....

Position held.....

Name & Address
of Contractor

.....

.....

Date.....

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

Contractors should note that goods should not be manufactured until acceptance has been notified.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Name or number of Project.....

	PAYMENTS		
	PA.		
	Date	*Amount No.*	*Initials*

Amount Committed	Date of Entry	Acceptance	
		Date	Initials.

ANNEXURE II (B)

UNITED KINGDOM/INDIA SECTORAL GRANT 1975

Contract Certificate for Chemicals and Allied Products only

1. Date of Contract.....Contract No.....Import Licence No.....

Date.....Identification Suffix.....

2. Description of Product(s) to be supplied to Purchaser	£ Price	UK Tariff Classification No.	Is the product of UK origin? (*See note C*)
			State 'Yes' or 'No'.
(Note A)		(Note B)	
.....			
.....			

3. Total (Estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling—£

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the contractor named below and have the authority to sign this certificate and that the above information is correct.

Signed.....
Position held.....
Name & Address
of contractor
Date.....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapters 15, 25, 26-35 and 37-40 of the UK Tariff.

B. SEE :—

(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C. (i) A product is regarded as of 'UK Origin' if made either wholly from indigenous UK materials OR according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the use of Exporters', HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the 'Alternative Percentage criterion' DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question, advice should be sought from the Crown Agents for Overseas Governments and Administrations, 4, Millbank, London, SW 1.

D. For the purpose of this declaration of the United Kingdom includes the Channel Island and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

Identification Suffix.....

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs),
United Commercial Bank Building,
Parliament Street,
New Delhi.

SUBJECT.—*Import of.....from U.K. under U.K./India Sectoral Grant, 1975*

Sir,

In connection with the import of.....from UK against the above UK/India Sectoral Grant, 1975, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

(a) Particulars of Import Licence.

Full No. and Date Value (Rs.) Date upto which valid

(b) Sterling value of licence.

(Calculated at the rate of exchange indicated in the import licence by the licensing authorities).

(c) Progressive Sterling value of the orders already placed for which L/As have been obtained (A statement of LA Nos. and Sterling amount to be enclosed).

(d) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount/s of authorisation required separately against each supplier (copy of orders placed and UK suppliers' acceptance thereof to be attached).

(e) Name of UK Correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(f) Name of the Indian Bank which has furnished the Bank Guarantee and which will open the Letter of Credit in cases where section III(B) of this Public Notice is applicable.

The Bank Guarantee furnished by and which has been
(Name of Bank)
duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Stamps Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,

(Signature of Licencee and full address).

NOTE.—Item (f) is not applicable to cases falling under Section III(A).

ANNEXURE IV

Form of Bank Guarantee

To

The President of India,
Through Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government having agreed to' arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by

1. *(i) individual/partners

(ii) working under the name

(iii)..... and style of M/s..... name(s) and dress(es)

*Messrs a company having its registered office at in the State of, hereinafter referred to as the Importers' under Import Licence No. dated granted for.....Rupees, We,.....hereby guarantee that we shall arrange deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India. New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Banch, Delhi or by means of Demand Draft Drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi (for credit to the Central Government Account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch—

(i) within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the UK Banks, of rupee equivalent of the invoiced price representing the sterling disbursements made by the UK Banks, under the letter of credit authorisation issued by Ministry of Finance, at the composite rate of exchange prescribed for this purpose by the CCI&E, which vide Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972 at present is £1 = Rs. 19.06 until further notified through Public Notice or by Reserve Bank of India through Exchange Control Circulars to the Authorised Dealers in foreign exchange, alongwith interest thereon at six per cent per annum or at any other rate as may be prescribed from time to time from the date of payment to UK suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and UK bank charges.

(ii) Within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We. undertake to pay to the Government on demand and without demur such sum not exceeding rupees (plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We, ... agree and undertake not to release shipping documents to the Importers until after the rupee equivalent as foresaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We,.....agree and undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the import licence detailed above or to

extend the time for payment by the importers from time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercised by the Government on the liberty with reference to the amount of aforesaid or any reason of any such variation or extension of time being given to the Importers of any forbearance, act or ommission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us.....Bank from our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. (plus interest and service charges as aforesaid) and it will remain in force till the Ministry of Commerce day of (month) 197 . We also undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of Ministry of Commerce **Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 or as notified from time to time. Unless claim under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commended within another six months thereafter i.e. upto all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Place.....

Date.....

Yours faithfully,

Signature of the Authorised Officer
of the Bank and Bank's full address.

(The Bank Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899).

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised.

ANNEXURE V

UNITED KINGDOM/INDIA SECTORAL GRANT 1975
Payment Certificate

Identification Suffix.....

I hereby certify that

(i) the payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate have been made or fall due and are due to be made in respect of Contract No. dated..... between the contractor named below and (Purchaser) and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on.....

Contractor's Invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods, works and/or services.

(ii) The amounts specified in paragraph 1, do not include any additional foreign content to that declared in paragraph 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the contractor named below.

Signed
Position held
For and on behalf of
Name and Address of Contractor
.....
Date

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

Form of Application for release of Bank Guarantee

Identification Suffix.....

To

The Controller of Aid Accounts and Audit.
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
United Commercial Bank Building,
Parliament Street,
New Delhi.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposit made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No. dated for an amount of Rs. with the request that the same may be released and returned to us

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the bank guarantee was furnished.

2. The import licence No. and Date Value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Letter No. and Date.

(b) Amount of authorisation.

(c) U.K. Grant.

4. Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(a) Particulars of Letters of Credits opened (No., date, value and the supplier's name).

(b) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.

(c) Amount of Invoice (net in sterling).

(d) Amount of rupee deposit.

(e) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.

(f) If by demand draft, No. and date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that:

(1) *That balance amount of £..... available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

or

No letter of credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

or

The letter of Credit was opened against the authorisation letter(s) expired, unutilised and

(2) Our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*whichever is applicable.

ANNEXURE VII

(Form of utilisation Report)

UNITED KINGDOM/INDIA SECTORAL GRANT 1975

Identification Suffix....

(i) report to be sent for each quarter *i.e.* April—June, July—September, October—December, January—March (by the 15th of month following the quarter.)

(ii) report to be furnished separately for each licence.

(both in Rs. & £s.)

1. Name of the importer (Licensee).

2. Complete No. & dated of Import Licence.

3. Value of the import licence.

4. Date & value of the firm orders placed against the above licence and phasing of the balance ordering.

5. Whether the contract documents have been sent to CAA&CA in accordance with relevant stipulation in the licensing conditions (No. & Date of communication to be quoted).

6. Details of the value of Letters of Credit opened in favour of the U.K. Suppliers.

7. Phasing of payments:

(a) actual payments made

(i) July 1975—September 1975.

(ii) October 1975—December 1975.

(iii) January 1976—March 1976.

(and so on)

(b) Estimate of payments to be made:

(i) April 1976—June 1976.

(ii) July 1976—September 1976.

(iii) October 1976—December 1976.

(iv) January 1977—March 1977.

(and so on)

8. Indicate specifically the portion of the licence not covered by firm orders and is thus surrendered.

Signature.....

Address.....

.....

ANNEXURE VIII

Report showing details of refunds received from supplier/Shippers/insurers (towards settlement of claims for short landings, damages, etc.) in respect of imports from the U.K. under U.K./India Sectoral Grant, 1975.

Identification Suffix No.....

(only for claims settled in £ sterling)

1. Name of importing firm.

2. Particulars of U.K. Grant.

3. No. & date of the import licence.

4 Value of import licence.

5. Amount of refund received.

6 Nature of refund (give brief details).

7. Reference to the relative documents under which payment was made initially to the U.K. suppliers (indicate name of Indian Bank and reference to their letter No. & date forwarding the documents to the Ministry of Finance).

8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.

9. Remarks

Signature of the authorised office of the importing firm.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

विषय.—यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1975 दिनांक 27-6-75 के लिए लाइसेंस शर्तें।

सं० 120-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—यू० के० भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के जारी किए जाने के संबंध में शासित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, वे सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है।

परिशिष्ट

यू०के०/भारत क्षेत्री अनुदान, 1975 दिनांक 27-6-1975 के लिए लाइसेंस शर्तें

1. सामान्य

आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1975 होगा/लाइसेंस संख्या और प्रत्ययों के रूप में "आर/के एस जी" या "एस/के एस जी" के साथ लाइसेंस कोड के अतिरिक्त इसमे नियतन संख्या होगी। क्षेत्रीय अनुदान का संकेत करने वाला प्रतीक पहचान प्रत्यय के रूप मे जाना जाएगा और इसके साथ एक पत्र "ए" होगा जो उस शक्ति क्षेत्र के लिए होगा जिसके लिए अनुदान का निश्चय किया गया है और इस के साथ इसमे उस वर्ष का संकेत करने वाली एक संख्या होगी जिसमे नियतन किया गया है और इस के साथ एक नियतन संख्या होगी।

उदाहरणार्थ : एस ई सी ए/72/14 (जी ओ आई) अर्थात् क्षेत्रीय अनुदान/शक्ति/वर्ष/नियतन सं०

(ख) ब्रिटिश सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ किए गए नियतन के मामले में प्रतीक "(जी ओ आई)" परिचय प्रत्यय में नहीं रहेगा जैसा कि नीचे के उदाहरण से प्रतीत होता है।

"एस ई सी/ए/72/14

(ग) **एक नियतन- बहुविध लाइसेंस.**—जब एक नियतन के मद्दे एक से अधिक आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं तो आयात लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी यह सुनिश्चय करेंगे कि नियतन से संबंधित प्रत्येक लाइसेंस में एक और परिचय चिन्ह होगा उदाहरण के लिए

(1) एस ई सी/ए/72/14 (जी ओ आई) /1 (प्रथम लाइसेंस)

(2) एस ई सी/ए/72/14 (जी ओ आई)/2 (द्वितीय लाइसेंस)

अर्थात क्षेत्रीय अनुदान/शक्ति/वर्ष/नियतन सं० लाइसेंस की क्रम सं०

(घ) **एक लाइसेंस–बहुविध लाइसेंस.**—जब एक आयात लाइसेंस के मदेंदे एक से अधिक खरीद आदेश/संविदा हों तो लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चय करे कि लाइसेंस के लिए परिचय चिन्ह के बाद ब्रैकेट में आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्रत्येक खरीद आदेश/संविदा के लिए एक और परिचय चिन्ह अर्थात (1), (2) आदि दिया जाता है,उदाहरण के लिए:—

नियतन के मद्दे जारी किए गए एस ई सी/ए 72/14 (जी ओ आई) 1(1)

आयात लाइसेंस के मद देसविदाओं के लिए एस ई सी/ए/72 14 (जी ओ आई)/1 (2) के लिए अर्थात क्षेत्रीय अनुदान/शक्ति/वर्ष नियतन संख्या/आयात लाइसेंस की क्रम सं० (खरीद आदेश की क्रम सं०)

इस तरह एक नियतन के मद्दे जारी किए गए द्वितीय आयात लाइसेंस के मद्दे लाइसेंस संविदा के लिए यह इस प्रकार होगा :—

एस० ई० सी/ए/72/14 (जी ओ आई)/2 (1)

एस ई सी/ए/72/24 (जी ओ आई)/2 (2)

टिप्पणी.— उपर्युक्त अथवा इन शर्तों में कहीं भी संकेतिक परिचय प्रत्यय, लाइसेंस प्राधिकारी एवं लाइसेंसधारी को क्रियाविधि समझाने के लिए केवल एक उदाहरण हैं एवं इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आयात लाइसेंस जारी करते समय उस संकेतिक किए जाने वाली प्रत्येक नियतन के संबंध में वास्तविक परिचय प्रत्यय वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संकेतित किए जाएंगे।

लाइसेंस की वैधता अवधि.—2. आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए 4 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए एवं पोतलदान पूर्ण करने के लिए 12 मास की वैधता अवधि के लिए लागत बीमा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा। लेकिन, जहां सुपुर्दगियों को पूरा करने के लिए अधिक समय लगने का अनुमान हो, वहां लाइसेंस की वैधता अवधि 18 मास तक कर दी जाएगी।

आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग), नई दिल्ली को भेजे। इस की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

3. **आदेश देना.**—यू०के० संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर पक्के आदेश आयात लाइसेंस के जारी होने से चार मास के भीतर अवश्य ही दे दिए जाने चाहिए । पक्के आदेशों का अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा यू०के० संभरक के लिए बाद वाले से पुष्टिकरण द्वारा विधिवत् समर्थित जारी किए गए क्रय आदेश या भारतीय आयातक एवं यू० के० संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा/संविदा कीमियाद के लिए कीमतें सामान्यतः स्थायी होनी चाहिए ।

जब कभी किसी भारतीय कम्पनी के साथ बीमा किया जाता है तो किश्त को भारत में भारतीय रुपए में चुकाया जाना चाहिए ।

4. **आदेश देने में समय वृद्धि.**—यदि पक्के आदेश निर्धारित 4 मास की अवधि के भीतर नहीं दिये जा सके हैं तो आयात लाइसेंस लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए और इसके साथ पक्के आदेशों को देने में विलम्ब के कारणों का और आदेश देने में यथाआवश्यक समयवृद्धि की मांग का संकेत किया जाना चाहिए । ऐसे आवेदन पत्रों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक दो मास की अवधि वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि की मांग आयात लाइसेंस के जारी होने से छः मास से अधिक के लिए की जाती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्यविभाग (डब्ल्यू ई–2 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो आदेश भेजेगा ।

5. **भुगतान की विधि .**—यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975 के अन्तर्गत भुगतानों के प्रयोजनार्थ मदों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है :

(1) (क) वे मदें जो प्रथम उपयोक्ता की परिचालन पूंजी में से अर्थयुक्त की गई हैं उदाहरणार्थ माल, संघटक, कलपुर्जे और अन्य उपभोग के लिए स्टोर्स जो कि प्रथम उपयोक्ता की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्राप्त किए गए हैं [प्रथम उपयोक्ता वह फर्म या संस्था है (व्यापारिक संस्थान से भिन्न) जिसने अनुदान में से दिए जाने वाले माल एवं सेवाओं को प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए फर्म विद्युत संभरण उद्योग के लिए, संयंत्र, उपकरण एवं संघटकों का निर्माण करने वाली हो सकती है या स्वयं विद्युत संभरण उद्योग का उद्योग है] ।

(ख) वे मदें जो प्रथम उपयोक्ता की नियत पूंजी के अतिरिक्त हैं जैसे संयंत्र या अन्य सामान और सेवाएं जो प्रथम उपयोक्ता की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त किए गए थे और (जिनकी कीमत विदेशी मुद्रा में 500,000 पौंड से कम है) ।

(ग) अन्तिम उपयोक्ताओं जैसे विद्युत बोर्ड द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की मदें ।

(2) वे मदें जो प्रथम उपयोक्ता की नियत पूंजी के अतिरिक्त है और जिसमें 500,000 पौंड या इससे अधिक स्टर्लिंग खर्चे शामिल हैं ।

कंडिका (1) (क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए साख पत्र की स्थापना कर सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से संभरकों को भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन नीचे के खंड–3 (क) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, ऐसा करने के लिए **एक विशेष प्राधिकरण** सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त कंडिका (2) के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए भारत सरकार और यू० के० सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और खंड-3 (ख) में दी गई क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए ।

इसे नोट कर लेना चाहिए कि जब तक प्रारम्भिक 4 मास की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर आदेश देने का काम पूरा नहीं कर लिया गया हो और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विशेष प्राधिकरण (उपर्युक्त कंडिका में संकेत किए गए के अनुसार) प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी साख पत्र की स्थापना करने की स्वीकृति नहीं देंगे ।

6. **भारतीय अभिकर्ता का कमीशन** भारतीय अभिकर्ता के किसी कमीशन के लिए भुगतान भारत स्थित अधिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । लेकिन इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे और ये, इसलिए, इस के लिए लिए जाएंगे ।

7. आदेश नकद के आधार पर दिए जाने चाहिए और सभी भुगतान आयात लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने चाहिए । अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान हो जाने पर अवश्य की जानी चाहिए । किसी भी प्रकार की साख सुविधा नहीं दी जाएगी ।

2. आदेशों/संविदाओं में शामिल की जाने वाली या अन्यथा रूप से ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

8. जब आदेश/संविदाएं दी जा रही हों जो कि यू० के० संभरकों को ही दी जानी चाहिए (जिस की अभिव्यक्ति में चेनल आइलैंड तथा आइल आफ मैन भी शामिल है), लाइसेंसधारी को आदेश/संविदाओं में एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित्त हैं या होंगे । जब इस प्रकार के माल खरीदने से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू०के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है, उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी ।

9. **गैर यू० के० तत्व के माप दंड.**—(क) आयात लाइसेंस केवल यू० के० में प्राप्त एवं उत्पादित अथवा विनिर्मित सामान एवं/अथवा माल के लिए वैध होगा ।

(ख) भारतीय आयातक को उसके स्वयं के हित के लिए यह परामर्श दिया जाता है कि वह पहले से ही यू० के० संभरकों से इस बात का सुनिश्चय कर ले कि क्या प्रस्तावित आयातों में किसी प्रकार की गैर-यू० के० तत्व है और यदि है, तो उसकी प्रतिशतता क्या है । जब इस प्रकार की पूछ-ताछ करने पर पता लग जाता है कि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित माल में गैर यू० के० तत्व है तो उसे वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग), नई दिल्ली को इस बात की पुष्टि के लिए अवश्य ही अवगत करवाना चाहिए कि आयातक को भावी यू० के० संभरक के साथ अपने आदेश/संविदा पूर्ण करने पर आगे कार्य करना चाहिए या नहीं । विशेष मामलों में संविदा के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 20% की सीमा तक के गैर-यू० के० तत्व को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के पूर्व अनुमोदन के साथ स्वीकार किया जा सकता है ।

10. नीचे के खंड 3 एवं 5 में उल्लिखित प्रलेखन आवश्यकताओं को तथा नीचे के खंड 4 में निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा संविदा में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

3. संविदा की अधिसूचना तथा तत्संबंधी संशोधन

(क) उपर्युक्त 5(1) के अन्तर्गत आने वाले आयातों के संबंध में

11. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की तीन प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध-1 के रूप में) संपरक्त द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण पत्र (संलग्न अनुबन्ध 2 अथवा 2(बी) के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) की दो प्रतियों के साथ सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० टी० ओ० बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे । संविदा अधिसूचना (अनुबन्ध-1) की एक प्रति सी० एन० ओवर, उप-निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित की जाए ।

12. सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक नई दिल्ली को उपर्युक्त प्रलेखों को (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 11 में बताया गया है) भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और अनुदान का शीर्षक (यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975) भली भांति लिख दिया गया है । लाइसेंसधारी को इस बात का भी अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस का परिचय प्रत्यय सभी दस्तावेजों अर्थात् अग्रेषण पत्र, संविदा, संविदा अधिसूचना, संविदा प्रमाण पत्र आदि में संकेतित कर दिया गया है ।

उदाहरण.—यदि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 1975 वर्ष के दौरान किसी विशेष नियतन के लिए परिचय प्रत्यय एस ई सी/ए/75 12 (जी ओ आई)' नियत कर दिया गया है तो प्रथम आयात लाइसेंस एवं द्वितीय आयात लाइसेंस के अन्तर्गत दस्तावेजों पर इस प्रकार परिचय प्रत्यय लगाए जाएंगे :—

(1) **प्रथम आयात लाइसेंस**	एस ई सी/ए/75/12 (जी ओ आई)/1
इसके अन्तर्गत प्रथम संविदा	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/1(1)
इसके अन्तर्गत द्वितीय संविदा	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/1(2)
	और आगे इसी तरह
(2) **द्वितीय आयात लाइसेंस**	एस ई सी/ए/75/12 (जी ओ आई)/2
इसके अन्तर्गत प्रथम संविदा	एस ई सी/ए/75/12 (जी ओ आई)/2(1)
इसके अन्तर्गत द्वितीय संविदा	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/2(2)
	और आगे इसी तरह

13 किसी भी समय यदि संविदा में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा या कम धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संविदा संशोधन की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को जिसमें संविदा के लिए संशोधित प्रतियां और संशोधित संविदा प्रमाण पत्र शामिल है, को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दे ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को दे सकें ।

14. यदि यू० के० संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० संभरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिस को संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस अनुदान के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा। ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार ऐसी संविदाओं की प्रतिया (उन संविदाओं की प्रतियां जो यू० के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्त्ता द्वारा की गई है, यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हैं) भेज दी जानी चाहिए।

(ख) पैरा 5 (2) अन्तर्गत आनेवाले आयातों के संबंध में

15. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध-1 के रूप मे) संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण पत्र (संलग्न अनुबन्ध-2 या 2 बी के रूप में जो भी उपयुक्त हो) की पांच प्रतियों के साथ सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को भेजे। अनुबन्ध-1 की एक प्रति श्री सी० एल० ग्रोवर, उप-निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली को भी पृष्ठाकित की जानी चाहिए।

टिप्पणी :—चूंकि कोई भी साख पत्र तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है या संभरकों को भुगतान तब तक नही किया जा सकता है जबतक कि संविदा यू० के० सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित नहीं हो जाती है इसलिए लाइसेंसधारी के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि यू० के० संभरक दवारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाणपत्र के साथ संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां शीघ्र ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाती है।

16. उपर्युक्त प्रलेखों (जैसा कि उक्त पैरा 15 में बताया गया है) को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय करना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और अनुदान का शीर्षक भली भांति लिख दिया गया है। लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के मद्दे प्रत्येक संविदा में परिचय प्रत्यक्ष अवश्य देना चाहिए (कृपया पैरा 12 के अन्तर्गत दर्शाए गए उदाहरण को देखें)।

17. सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, मुख्य लेखा अधिकारी भारत का उच्च आयोग लन्दन (सी ए ओ लन्दन) के माध्यम से दस्तावेजों के एक सेट को, यू० के० सरकार यू० के० अनुदान में से की जा रही संविदा के अन्तर्गत भुगतानों के लिए उनकी स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा। यू० के० सरकार का निर्णय ज्ञात होने के बाद यथाशीघ्र सी ए ओ, लन्दन वित्त मंत्रालय (सी ए ए एंड ए) के परामर्श पर यू० के संभरक को और साथ ही साथ लाइसेंसधारी को भी सीधे ही सूचित करेगा।

18. यदि किसी भी समय संविदा (की जा रही वह संविदा जिसके संबंध में यू० के० सरकार अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है या लेना बाकी है) में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण पत्र मे उल्लिखित धनराशि से ज्यादा/कम धनराशि के लिये उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह अनुपूरक या संशोधित दस्तावेजों, संवदा संशोधन एवं परिशोधित संविदा प्रमाण पत्र की प्रतियों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रण को भेज दे ताकि वह इस की सूचना यू० के० सरकार को उन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दे सके। जैसे ही यू० के० सरकार से संविदा संशोधन के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, सी ए ओ लन्दन लाइसेंसधारी एवं वित्त मंत्रालय (सी ए ए एंड ए) को उसी तरह सूचित करेंगे जैसा कि मूल संविदा के मामले में किया जाता है।

19 यदि सविदा यू० के० सभरक के भारतीय अधिकर्ता के साथ की गई हो तो उपर्युक्त पैरा 14 मे बताई गई बातो का भी अनुपालन किया जाना चाहिए ।

4 यू० के० सभरको को भुगतान साख-पत्र की प्रक्रिया

20(क) लाइसेसधारी को चाहिए कि वह दस्तावेजो को भेजते समय (देखे खड-3 (क), या यू० के० सरकार द्वारा सविदा के अनुमोदन के बारे मे सूचना की प्राप्ति के बाद देखे पैरा 17) यू० के० सभरको के नाम मे यू० के० से सम्बद्ध बैंको मे से किसी भी एक बैंक मे जो विदेशी मुद्रा विनियम करने के लिए प्राधिकृत हो, साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियत्रक को आवेदन करे । प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन अनुबन्ध 3 मे दिए गए प्रपत्र मे किया जाना चाहिए और उस के साथ आयात लाइसेस की फोटो प्रति विनिमय दर के सत्यापन के लिए दी जानी चाहिए ।

(ख) खड-3 (ख) के अन्तर्गत आने वाली सविदाओ के मामले मे आयातक को चाहिए कि वह विदेशी मुद्रा मे प्राधिकृत व्यापारी से प्राप्त बैंक गारन्टी (अनुबन्ध 4 मे दिए गए प्रपत्र मे) को भी सलग्न करे । बैंक गारन्टी अनुबन्ध 4 मे यथा उल्लिखित ब्याज एव अन्य प्रभारो के साथ स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपए को दर्शाने वाली उन धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए प्राधिकार पत्र/साख पत्र खोला जाना आवश्यक है । परिवर्तन की दर समय समय पर राजस्व तथा बीमा विभाग द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर निर्धारित की जाएगी ।

टिप्पणी —सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना द्वारा किसी प्रकार की बैंक गारन्टी की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलो मे स्टेट बैंक आफ इन्डिया की किसी भी शाखा द्वारा (इसकी नियन्त्रित शाखा सहित) या राष्ट्रीय कृत बैंको मे से किसी भी शाखा द्वारा साख पत्र खोला जाएगा।

21. यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा नियत्रक वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली सम्बन्ध भारतीय मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत बैंक को अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेगा । खड-3 (क) एव 3(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलो मे से किसी भी मामले मे प्राधिकरण पत्र में सविदा/खरीद आदेश के परिचय प्रत्यय उल्लेख होगा जिस का सकेत खोले जाने वाले साख पत्र एव साख पत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज मे होना चाहिए । खड-3 (ख) के अन्तर्गत आने वाली सविदाओ के मामले मे यू० के० सरकार के सविदा अनुमोदन की सख्या को भी प्राधिकार पत्र एव साख पत्र मे समाविष्ट किया जाना चाहिए । सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा, नियत्रक जारी किए गए प्राधिकार पत्र के बारे मे भी यू० के० बैंक तथा सी ए ओ, लन्दन को उपयुक्त परामर्श देगा । लेकिन, यू० के० बैंक को दिया गया परामर्श सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को प्राधिकरण की प्रति के साथ भेजा जाएगा जो बदले मे इसे साख पत्र खोलने समय यू० के० बैंक को सप्रेषित करेगा ।

22. प्राधिकरण पत्र के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर साख पत्र खोल दिया जाना चाहिए और ऐसा नही करने की स्थिति मे प्राधिकरण समाप्त हो जाएगा ।

23. साख पत्र मे उन शर्तो का उल्लेख होने चाहिए जिसके अधीन लाइसेस दिया गया है, नीचे के खड 5 मे उल्लिखित सभी प्रलेखो के प्रस्तुतीकरण के बाद सभरको को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । भुगतान के बाद प्रलेखो मे प्रेषण करने से सम्बन्धित अनुदेशों

को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए और इसे इन शर्तों के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को प्रारम्भिक रूप में उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उस की क्षतिपूर्ति भारत में सम्बद्ध बैंक से (खंड 3 (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में) या सी ए ओ लन्दन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, लन्दन से (खंड-3 (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले में) प्राप्त करेगा । साख पत्र खोलने के सम्बन्ध में भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेशों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्ण रूपेण अनुरूप होना चाहिये । इसमें किसी भी प्रकार अन्तर नहीं होना चाहिए । साख पत्र में शीर्षक "यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975", आयात लाइसेंस सं० एवं दिनांक, परिचय प्रत्यय और जहां आवश्यक हो, यू० के० सरकार की संविदा अनुमोदन सं० का संकेत होना चाहिए ।

24. जब साख पत्र खोला जा रहा हो, तो भारत के प्राधिकृत विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक आयातक की ओर से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि प्रलेखन की उपर्युक्त जरूरतों को नोट कर लिया गया है तथा यू० के० संभरकों द्वारा इस का अनुपालन किया गया है, साख पत्र मे आवश्यक शर्तों को शामिल करने पर ध्यान देगा ।

25. यदि पहले से ही जारी किए गए प्राधिकार पत्र को आयात लाइसेंस के मूल्य को बढ़ाने के आधार पर आयात संशोधित किया जाना है तो आयातक के आवेदन-पत्र के साथ आयात लाइसेंस अथवा उसकी फोटोस्टेट प्रति भेजी जानी चाहिए जिसमें आयात लाइसेंस के मूल्य में बढ़ाई गई धनराशि के लिए लागू विनियम दर का संकेत हो ।

5. प्रलेखन

26. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० सम्भरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है :—

(1) चार फोटो प्रतिया या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक (बीजक में आयातक का नाम और पता, सम्भरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, वितरण का आधार (लागत भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा) और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिसमें वितरण या नौवहन या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं, उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाया जाना चाहिए ।

(2) महासागर या चार्टर लदान—पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायु-मार्ग बिल या डाक पार्सल रसीद (लदान पत्र में खर्चों का संकेत होना चाहिए चाहे इन का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो या उस के साथ खर्चों का वाहक विवरण दिया जाना चाहिए) ।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण पत्र की चार प्रतियां (ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में इनकी आवश्यकता नहीं है जिनके लिए अनुबन्ध 2 (ख) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है) । इस उद्देश्य के लिए सम्भरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख पत्र के साथ संलग्न करने चाहिएं ।

(4) अनुबन्ध-2 या 2(ख) में निर्धारित संविदा प्रमाण-पत्र की तीन प्रतियां । प्रत्येक प्रलेख में ऋण जोखिम निश्चय, प्रत्यय, आयात लाइसेंस के ब्यौरे और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख प्राधिकरण पत्र के ब्यौरों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए । (यदि निकासी अभिकर्ता द्वारा इन ब्यौरों का उल्लेख करना सम्भव हो तो लदान बिल में आयात लाइसेंस के ब्यौरों को नहीं दर्शाया जा सकता है) ।

27. यू० के० सम्भरक को भुगतान किये जाने के बाद यू० के० का सम्बद्ध बैंक भारतीय सम्बद्ध बैंक को प्रलेखों का मूल परक्राम्य सेट वायुमार्ग से भेजेगा ।

28(क). खंड-3 (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में भारतीय बैंक यू० के० बैंक को उस के द्वारा बैंक प्रभारों सहित यू० के० सम्भरकों को किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति प्रेषण द्वारा करेगा । भारतीय बैंक द्वारा आयातकों से इस प्रकार की विदेशी मुद्रा परेषणों की तत्सम्बन्धी समतुल्य रुपए में वसूली दोनों के बीच हुई सहमति से तय की गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी । यू० के० बैंक भी पूर्ण किए गए भुगतान प्रमाण पत्र की एक अपरक्राम्य प्रति सहायता लेखों एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक नई दिल्ली को भेजेगा ।

खंड-3(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में भारतीय बैंक प्रलेखों की प्राप्ती पर यू० के० बैंक को बैंक प्रभारों का परेषण करेगा और आयातक से उसी को वसूल करेगा । (ख) खंड 3(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में यू० के० बैंक साथ ही साथ सी ए ओ, लन्दन से प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस प्रयोजन के लिए सभी प्रलेखों को प्रस्तुत करेगा । सी ए ओ, लन्दन स्टेट बैंक आफ इंडिया लन्दन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा ।

6. यू० के० अनुदान के अन्तर्गत/रुपया निक्षेप के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्ति के लिए भारत सरकार को सक्षम बनाने में भारतीय बैंक की जिम्मेवारी

(क) खंड 3(ए) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में

29. बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को स्टर्लिंग भुगतानों के यू० के० बैंक में प्रतिपूर्ति करने के बाद (कंडिका 28 (क) देखें) भारतीय बैंक को चाहिए कि वह 10 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेखों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक नई दिल्ली को भेजे ताकि भारत सरकार यू० के० अनुदान के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सके । भेजे जाने वाले प्रलेख ये हैं :—

(1) यू० के० सम्भरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2(ख) जैसा उचित हो, में दिए गए रूप में संविदा प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित साख पत्र की एक प्रति ।

(2) यू० के० सम्भरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध 5 में दिए गए के अनुसार भुगतान प्रमाण पत्र ।

(3) खंड 5 में उल्लेख किए गए के अनुसार बीजक तथा लदान बिल । जहां संविदा के अन्तर्गत यू० के० सम्भरक को एक से अधिक भुगतान किया जाना है, संविदा प्रमाणपत्र तथा साख पत्र की एक प्रति भेजने की आवश्यकता केवल प्रथम भुगतान के लिए है । आगामी बीजक के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक नई दिल्ली को भेजना आवश्यक है किन्तु परिचय प्रत्यय को सम्बन्धित संविदा प्रमाण पत्र तथा साख पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिए ।

(ख) खंड 3(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में

30. यू० के० बैंक से लदान दस्तावेज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के (7) दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध बैंक आयातक से आयातों का रुपए में मूल्य वसूल करेगा और इसके साथ यू० के० बैंक द्वारा यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख से लेकर सरकारी लेखों में समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिकी की दर से ब्याज प्रभार भी लेगा ।

31. **समतुल्य रुपए का निक्षेप.**—उपर्युक्त उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली में जमा करानी चाहिए या जहां यह सम्भव न हो तो इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के नाम मे दर्शनी हुंडी द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए । रुपया निक्षेप सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 के लिए प्रकाशित अनुबन्ध में दिए गए राजकोष चालान प्रपत्र में किया जाना चाहिए । इसके बाद निक्षेप के साक्ष्य को दर्शाते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए और उसमें बीजक, लदान प्रलेखों एवं जिस अनुभाग से सौदा सम्बन्धित है उस के प्राधिकरण की प्रतियां होनी चाहिएं एवं उनके सन्दर्भों का संकेत होना चाहिए।

सम्बद्ध भारतीय बैंक इस तरह सेवा प्रभारों के आधार पर ऐसी अतिरिक्त धनराशि को भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने के 7 (सात) दिनों के भीतर ही जमा करने की व्यवस्था करेगा ।

लाइसेंसधारी को सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के लिए अनुबन्ध-2 में यथा सम्मिलित प्रपत्र "एस" दो प्रतियों में भरना चाहिए और उन्हें उक्त सार्वजनिक सूचना में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रुपया निक्षेप की व्यवस्था करते समय प्रस्तुत करना चाहिए ।

32. **रुपया निक्षेप के लिए लेखा शीर्षक.**—भारत सरकार के क्रेडिट में ब्याज प्रभारों सहित जमा की जाने वाली धनराशि निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाएगी :—

"के डिपोजिट्स एंड एडवांसेस—843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजेस एक्सेट्रा एग्राड-डिपोजिट्स अन्डर यू० के०/इंडिया सेक्ट्रल ग्रान्ट 1975"

लेखा अधिकारी

और महालेखा पाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को लेखा अधिकारी के रूप में दर्शाया जाएगा जो इस क्रेडिट का समंजन करेगा ।

33. **बैंक गारन्टी को रिहा करना.**—बैंक गारन्टी एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के अनुसार आभार पूर्ण हो जाने के बाद, सम्बद्ध भारतीय बैंक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को आवेदन कर सकता है । सम्बद्ध भारतीय बैंक द्वारा (न कि आवेदक द्वारा) आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए और यह अनुबन्ध-6 में निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए ।

7. आयात लाइसेंस के उपयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट

34. **रिपोर्ट भेजना.**—अनुबन्ध-7 में यथा संलग्न प्रपत्र में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थितियों को प्रदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट, जिस तिमाही से यह सम्बद्ध हो उसके अगले मास की 15 तारीख को वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यु ई-2 अनुभाग) नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इस की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यु० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

8. विविध

35. **यू० के० संभरकों से धन वापसी.**—लाइसेंसधारी द्वारा यु० के० संभरक या किसी संविदाकर्ता (बीमा कम्पनी आदि) से धनवापसी या बीमा दावे को निपटाने में या अन्यथा रूप से किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त होती है तो ऐसी धनराशि संभरक द्वारा यु० के० के सम्बन्ध बैंक को (जिस के द्वारा प्रारम्भ में यु० के० संभरक को भुगतान किया गया था) इन अनुदेशों के साथ वापस की जानी चाहिए कि वे बदले में इस धनराशि को अनुदान लेखे में जमा करने के लिए तुरन्त सी ए ओ लन्दन को वापस कर दें । अनुदान लेखे में इस प्रकार की धनराशि जमा करने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा रुपए में इस के बराबर धन-राशि को आयातक को उस के द्वारा दावे की पावती के बाद वापिस कर दिया जाएगा । यदि किसी प्रकार की धनवापसी ऋण समाप्त होने के बाद प्राप्त होती है तो वह संभरक द्वारा सीधे ही आयातक को दी जाएगी ।

36. **धनवापसी की रिपोर्ट भेजना.**—जब और जैसे ही ऐसी धनवापसी प्राप्त होती है तो उसकी एक रिपोर्ट अनुबन्ध-7 में दिए गए प्रपत्र में वित्त मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए और इसकी एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए ।

37. **विशेष शर्तों, व्यवस्थाओं के लिए अधिसूचित किए जाने वाले संभरक.**—आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्त हो जो कि संभरक पर सौदे के पालन करने में प्रभाव डाले तो लाइसेंस-धारी को चाहिए कि वह संभरक को इस से आभारी करा दे।

38. **विवाद.**—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

39. **भविष्य के लिए अनुदेश.**—आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों के संबंध में तथा अनुदान करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, आदेशों या अनुदेशों का तुरन्त पालन करेगा।

40. **उल्लंघन या अतिक्रमण.**—उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 एवं इस के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

10. अनुबंध की सूची

1.	अनुबन्ध-1	संविदा की अधिसूचना
2.	अनुबन्ध-2	संविदा प्रमाण पत्र
3.	अनुबन्ध-2(ख)	संविदा प्रमाण पत्र (रासायनिक)
4.	अनुबन्ध-3	साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रा प
5.	अनुबन्ध-4	बैंक गारन्टी का प्रपत्र
6.	अनुबन्ध-5	भुगतान प्रमाण पत्र
7.	अनुबन्ध-6	बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र
8.	अनुबन्ध-7	आदेश देने एवं आयात लाइसेंस के उपयोग के लिए
9.	अनुबन्ध-8	रिपोर्ट करने के लिए प्रान्त धनवापसी की रिपोर्ट का प्रपत्र।

अनुबन्ध—1

यू० के०/भारत पूंजी क्षेत्रीय अनुदान, 1975
संविदा की अधिसूचना

सेवा में,

समुद्र पार सरकार एवं प्रशासन के लिए
क्राउन एजेंट
4, मिलबैंक,
लन्दन एस डब्ल्यू—1

संविदा की अधिसूचना संख्या
परिचय प्रत्यय संख्या

संविदा के निम्नलिखित ब्यौरे हैं जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदान की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा:—

1. यू० के० संविदा कर्त्ता का नाम तथा पता

2. संविदा का दिनांक

3. भारतीय खरीददार का नाम

4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा/अथवा कार्य अथवा सेवाएं

5. संविदा का मूल्य

6. भुगतान की शर्तें

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित
दिनांक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) डब्ल्यू ई–2 अनुभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुबन्ध–2

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1975

संविदा प्रमाण पत्र

1. संविदा की तारीख 2. (क) संविदा संख्या

(ख) परिचय प्रत्यय

3. खरीददार को दिये जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण

.....

(यदि कोई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिये)

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निशुल्क का उल्लेख कीजिए) पौण्ड

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य है (यदि संविदाकर्ता केवल निर्यातक अभिकर्त्ता है तो मांगी हुई सूचना निर्माण कर्त्ता से प्राप्त करनी चाहिए) ।

5. खरीददार को संभरण किये जाने वाले माल का विवरण	कीमत पौण्ड	यू०के०/टैरिफ/ट्रेड कोड सं०
.....		
.....		
.....		

6. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण किये गये संघटकों का प्रतिशत :

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टकरण

7. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल का संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा, अदह, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गई है तो उनका उल्लेख करें :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य.....

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टकरण

यदि सेवाएं प्रदान की जानी है, तो निम्नलिखित खंडों को भी पूर्ति की जानी चाहिए :—

8. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :—

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभिकरण के खर्चे आदि)——————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता——————————

9. **उपर्युक्त कंडिका 6, 7 या 8 के संबंध में जैसा आवश्यक हो टिप्पणी दें ।**

10. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 6, 7, 8 और 9 में विशिष्टकृत को छोड़कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल की नहीं है, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित——————————

पद जिस पर वह है——————————

संविदाकर्ता का नाम और पता——————————

दिनांक————

टिप्पणी .—इस घोषणा के लिए यू० के०, दि चेनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

संविदाकर्ता को यह नोट कर लेना चाहिए कि तब तक माल का विनिर्माण नहीं किया जाना चाहिए जब तक अनुमोदन अधिसूचित न कर दिया गया हो ।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

भुगतान

परियोजना का नाम एवं सं०——————

पी ए

दिनांक धनराशि आद्याक्षर

वचनबद्ध धनराशि	प्रविष्टि की तारीख	अनुमोदन
		दिनांक आद्याक्षर

अनुबन्ध 2(ख)

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975

केवल रसायन एवं सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमान सत्र

1. संविदा की तिथि————————संविदा की संख्या————————

आयात लाइसेंस संख्या————————दिनांक————परिचय प्रत्यक्ष

2. खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण (टिप्पणी क)	पौंड मूल्य	यू० के० दर सूची वर्गीकरण सं० (टिप्पणी)	क्या उत्पाद यू० के० मूल्य का है ? (टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल अनुमानित संविदा कीमत स्टर्लिन पौंड में

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षरित————————

पद किस पर है————————

संविदाकर्ता का नाम————————

और पता

दिनांक————————

टिप्पणी

ए इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रासायन तथा संबंधित उत्पादों के लिए किया जाना है जिनमें अधिकतर को यू०के० दर सूची के अध्याय, 15, 25, 28–35 तथा 37–40 के उपर्युक्त उपशीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है।

बी. देखिए :—

1. एच० एम० कस्टम तथा एक्साईज टेरिफ एच० एम० एस० ओ०

2. ब्रुसल्स नामावली एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण

सी. (1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशी माल से तैयार किया गया है तो उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपर्युक्त ई०एफ०टी०ए० विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशतः आयातित माल प्रयोग किया जाता है।

(2) एच० एम० एस० ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि, ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह के सूचक 1 में बतायी गई है।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि निकासी प्रतिशत निकस लागू नहीं होता है।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कहां शब्द 'क्षेत्र मूल' आते हैं इनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल से है।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए 'माल की सूची' (ए० एफ० टी० ए० सार-संग्रह का सूचक-3) लागू नहीं होती है।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचीबद्ध नहीं है तो क्राउन एजेंट, सी एस 4 विभाग 4 मिल एम डब्ल्यू 1 से सलाह ले लेनी चाहिए।

डी. इस घोषणा के लिए यू० के०, चैनल आइलैंड तथा आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध—3

साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

परिचय प्रत्यय———————

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
(आर्थिक सहायता लेखा शाखा)
वित्त मंत्रालय,
(अर्थ कार्य विभाग)
यूनाइटिड कमर्शियल बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

विषय :—यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1975 के अन्तर्गत यू० के० से———————
———————————————का आयात।

महोदय,

उपर्युक्त यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975 के लिए यू० के० से———————
का आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें हमारे बैंकरों के माध्यम से आपके द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में खास पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सकें :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण :—

(1) पूरी सं० एवं दिनांक———————————मूल्य (रुपए)———————
तिथि जिस तक वैध है———————————

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग में मूल्य

(लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आयात लाइसेंस में संकेतित विनिमय दर पर गणना की गई)

(ग) पहले से ही दिए गए आदेशों का क्रमिक स्टर्लिंग मूल्य जिस के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किए गए हैं (प्राधिकारी पत्र की सं० एवं स्टर्लिंग मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया जाना चाहिए)

(घ) यू० के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और उसके लिए यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग-अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धनराशि/धनराशियां।

(ङ) सम्बद्ध यू० के० बैंक का नाम जिस में साख-पत्र संस्थापित किया जाना है।

(च) उस भारतीय बैंक का नाम जिसने बैंक गारन्टी भेजी है और जो उन मामलों में साख पत्र खोलेगा जिन में इस सार्वजनिक सूचना का खंड–3 (ख) लागू होता है।

——————————द्वारा भेजी गई बैंक गारन्टी जो स्टाम्प अधिनियम
(बैंक का नाम)

1899 की धारा 31 की व्यवस्थाओं के अनुसार समाहर्ता द्वारा विधिवत न्याय निर्णित की गई है संलग्न है।

टिप्पणी.—खंड–3(क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में मद (च) लागू नहीं है।

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर
एवं पूरा पता)

अनुबन्ध 4

बैंक गारंटी का प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
द्वारा सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
अर्थ कार्य विभाग,
नई दिल्ली।

भारत के राष्ट्रपति के हेतु जिसमें आगे "सरकार" कहा गया है निम्नलिखित द्वारा आयात किये जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए :—

1.*(1) फर्म का नाम

(2) तथा किस्म जिसके अधीन

(3) व्यक्ति/भागीदार काम कर रहा है

(नाम) और (पता)

*सर्वश्री एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय राज्य में है जिन्हें आगे रुपये के लिए प्रदान किए गए आयात लाइसेंस सं० दिनांक के अन्तर्गत "आयातक" कहा गया है, हम एतद्द्वारा गारन्टी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में सरकार के खाते में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा दिल्ली के नाम दर्शनी हुंडी जो उक्त तीस हजारी शाखा को (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) अग्रसारित की जाती है, के द्वारा निम्नलिखित धनराशि जमा करने की व्यवस्था करेंगे :—

(1) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख पत्र प्राधिकरण के अधीन य० के० बैंकों द्वारा स्टर्लिंग में किये गये भुगतानों को प्रदर्शित करते हुए बीजक के मूल्य के बराबर रुपयों के भुगतान की सूचना और लदान दस्तावेजों की यू० के० बैंकों से प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित की गई मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर पर धनराशि यह मिश्रित दर, जब तक दूसरी दर सार्वजनिक सूचना के द्वारा या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों को मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों द्वारा अधिसूचित नहीं कर दी जाती पौंड 1–19.06 रुपये है देखिये सार्वजनकि सूचना सं० 108-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 15–आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28–1–72, और उक्त धनराशि पर यु० के० संभरकों को भुगतान करने की तिथि से समतुल्य रुपया भुगतान करने की तिथि तक के समय पर 6% सालाना की दर से ब्याज और बैंक प्रभार ।

(2) ऐसी अतिरिक्त धनराशि जो कि सेवा प्रभार के लिए देय होने पर सरकार द्वारा मांगी जा सकती है, मांगी जाने के 7 दिनों के भीतर ।

2. आयातकों द्वारा उपर्युक्त भुगतान करने में असफल रहने पर लापरवाही करने की स्थिति में हम सरकार को उसके द्वारा मांग करने पर ऐसी धनराशि जो रुपये से अधिक न हो (और उस पर उपर्युक्तानुसार ब्याज तथा सेवा प्रभार हो) बिना किसी आपत्ति के चुकाने का वचन लेते हैं और आयातकों की ओर से ऐसी असफलता या लापरवाही के सम्बन्ध में और हमारे द्वारा सरकार को देय धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय हमारे लिए अन्तिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम सहमत हैं और वचन लेते हैं कि जब तक यथा पूर्वोक्त तुल्य रुपया या कोई अन्य देय धनराशि जो सरकार द्वारा मांगी जाए, सरकार के खाते में जमा नही कर दी जाती तब तक आयातकों को पोत परिवहन दस्तावेज रिहा नहीं किये जायेंगे ।

4. हम, ... सहमत हैं और वचन देते हैं कि इस गारन्टी को इसके लागु होने के दौरान सरकार की लिखित रुप में पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे ।

5. इसमें निहित गारन्टी, आयातकों अथवा हमारी संस्था के संविधान में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

6. सरकार को इस गारन्टी को प्रभावित किये बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय-समय पर आयातकों द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय-समय पर आयातकों के प्रति प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी और इस गारन्टी में पूर्वोक्त धनराशि के संदर्भ में सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतन्त्रता के कारण अथवा आयातकों को दिये जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की ओर से किसी प्रतिबंध अधिनियम या छुट अथवा सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार की क्षमा अथवा कोई भी मामला या वस्तु, जो कि कानुन के अनुसार प्रतिभूतियों से सम्बन्ध हो इस परन्तुक के लिए, हमारे (बैंक का नाम) दायित्वों पर कोई भी प्रभाव डाले बिना हमें हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

इस गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व रुपये (जमा यथा पूर्वोक्त ब्याज तथा सेवा प्रभार) तक प्रतिबन्धित है और यह तिथि *मास 197..... तक लागू रहेगा । हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का भी वचन लेते हैं जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या 108-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ बढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28 जनवरी 1972 की शर्तों के अनुसार या समय-समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवश्यक हों । इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इस बांड/गारंटी के अधीन लिखित रूप से दावे हो जाने के बाद और अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्रवाई हो जाने के बाद अर्थात् तक इस गारंटी के अधीन सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे और इसमें निहित सभी उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और मुक्ति मिल जाएगी ।

स्थान..... भवदीय

दिनांक..... बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक का पूरा पता) ।

(बैंक गारंटी एक न्यायकेतर स्टाम्प पेपर निष्पादित की जानी है, स्टाम्प का मुल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार समाहर्ता द्वारा निर्णीत की जाएगी) ।

*जिस तिथि तक सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है उस तिथि में । मास जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

अनुबन्ध 5

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975

भुगतान प्रमाण पत्र

परिचय प्रत्यय

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :—

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान, वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण पत्र के साथ लगी हैं, बाकी हैं या नीचे लिखे गए संविदाकर्त्ता और खरीददार के बीच संविदा संख्या तारीख के सम्बन्ध में बाकी पूरे किए जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार है जो तारीख को उक्त संविदाकर्त्ता के नाम पर हस्ताक्षरित हैं।

संविदाकर्त्ता के बीजक की संख्या	तारीख धनराशि पौंड	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका 1 में जो धन-राशियां विशिष्टकृत की गई हैं, वे संविदा प्रमाण पत्र की कंडिका 6, 7 अथवा 8 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती है ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्त्ता के नाम पर इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षर

पद जिस पर वह है

के लिए और नाम पर संविदाकर्त्ता का नाम और

पता

तारीख

टिप्पणी :— इस घोषणा के लिए यु० के०, चेनल आफ आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबंध–6

बैंक गारंटी मुक्त कराने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

परिचय प्रत्यय

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यूनाइटिड कमर्सियल बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
न्यू दिल्ली

महोदय,

हम गारंटी सं० दिनांक
धनराशि रु० के अधीन अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में हमारे द्वारा जमा किए गए रु० की विस्तृत जानकारी इस आवेदन के साथ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह बैंक गारंटी मुक्त की जाए और हमें लौटा दी जाए :—

1. आगातक/लाइसेंसधारी जिसकी ओर से गारंटी प्रस्तुत की गई थी, का नाम और पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस सं०, दिनांक, मूल्य और उसके अधीन आयात के लिए अनुमित पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण(णों) के ब्यौरे
 (क) पत्र संख्या और दिनांक
 (ख) प्राधिकरण की धनराशि
 (ग) यू० के० अनुदान ।

4. आयातों और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक साख पत्र प्राधिकरण के लिए अलग-अलग दिए जाने हैं)
 (क) खोले गए साख पत्र के ब्यौरे (सं०, दिनांक, मूल्य और संभरक का नाम)
 (ख) प्रत्येक साख पत्र से संबंधित बीजक की सं० और दिनांक
 (ग) स्टर्लिंग में बीजक की धनराशि (वास्तविक)
 (घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि
 (ङ) संबंधित चालान सं० और दिनांक और राजकोष/बैंक का नाम
 (च) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है, तो डिमान्ड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजा गया था उसकी सं० और दिनांक ।

5. प्रत्येक साख पत्र प्राधिकरण में उपयोग की गई और उपयोग न की गई शेष धनराशि (स्टर्लिंग)

2. हम प्रमाणित करते है कि :—

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण (णों) में उपलब्ध पौ० की शेष धनराशि उपयोग नही की गई है/उपयोग नहीं की जाएगी ।

अथवा

प्राधिकरण पत्र (णों) के आधार पर खोला गया साख पत्र बिना उपयोग किए समाप्त हो गया ।

और

(2) विषयाधीन गारंटी के अधीन हमारे दायित्व विधिवत् पूरे हो गए हैं ।

3. हम अनुरोध करते हैं कि बैंक गारंटी कृपया मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए हमें लौटा दी जाए ।

भवदीय,

बैंक की ओर से प्राधिकृत एजेन्ट

*जो भी लागू हो

अनुबंध–7

उपयोग किए जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1975

परिचय प्रत्यय

(1) प्रत्येक तिमाही अर्थात्

अप्रैल—जून
जुलाई—सितम्बर
अक्तूबर—दिसम्बर
जनवरी—मार्च

के लिए तिमाही समाप्त होने के बाद के महीने की 15 तारीख तक भेजी जानी है)

(2) प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में रिपोर्ट भेजी जानी है

(रुपए एवं पौंड दोनों में)

1. आयातक (लाइसेंसधारी) का नाम
2. आयात लाइसेंस की पूर्ण सं० एवं दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. उक्त लाइसेंस के मद्दे दिए गए पक्के आदेशों की तारीख तथा मूल्य और शेष आदेश देने की स्थिति ।

5. क्या लाइसेंस शर्तों में सम्बद्ध निर्धारण के अनुसार संविदा दस्तावेज सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजे गए है (पत्र आदि की सं० एवं दिनांक दिया जाना है)

6. यू० के० संभरकों के नाम में खोले गए साख पत्र के मूल्य के ब्यौरे

7. भुगतानों की स्थिति

(क) किए गए वास्तविक भुगतान

(1) जुलाई 1975—सितम्बर '75

(2) अक्तूबर 75—दिसम्बर '75

(3) जनवरी 76—मार्च '76

(और इसी तरह)

(ख) किए जाने वाले भुगतानों का अनुमान

(1) अप्रैल 76—जून '76

(2) जुलाई 76—सितम्बर '76

(3) अक्तूबर 76—दिसम्बर '76

(4) जनवरी 77—मार्च '77

(और इसी तरह)

8. लाइसेंस के ऐसे भाग का संकेत करें जो आवेदन में शामिल नहीं किया गया है और उसे अभ्यर्पण कर दिया गया है ।

हस्ताक्षर.....

पता.....

अनुबन्ध 8

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुबंध 1975 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के संबंध में संभरक/पोतवणिक/बीमाकर्त्ता द्वारा (अल्पावतरणक्षति इत्यादि के लिए दावे का निपटारा करने के लिए) प्राप्त धनवापसियों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाते हुए रिपोर्ट

परिचय प्रत्यय संख्या.....

(पौंड स्टर्लिंग में केवल निपटाए गए दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम

2. यू० के० साख के ब्यौरे

3. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक

4. आयात लाइसेंस का मूल्य

5. प्राप्त धनवापसी की राशि

6. धनवापसी किस प्रकार की थी (संक्षिप्त ब्यौरा दें)

7. सम्बद्ध दस्तावेज जिसके अन्तर्गत यू० के० सभरकों को प्रारम्भिक भुगतान किए गए थे उनका सदर्भ (वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रेषित करते हुए भारतीय बैंकों की पत्र संख्या और दिनांक के सदर्भ का संकेत करें ।

8. क्या प्राप्त की गई धनवापसियों माल के अदला-बदली के लिए प्रयोग की जानी या नहीं यदि नहीं तो पुष्टि करें कि राशि वास्तव में प्राप्त कर ली गई है । उसे रुपये में भुना लिया गया है ।

9. टिप्पणी

आयात करने वाली फर्म के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975